बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन।

(भाग - 2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि 4 सितम्बर, 1984

	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	1—2
मध्याह्न की चर्चाएँ :	
(क) अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ...	2
(ख) चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण ...	2
(ग) शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा हड़ताल ...	3
(घ) रोहतास इण्डस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण ...	3—5
(ङ) मुंशी मजिस्ट्रेट द्वारा लड़की के साथ दुर्व्यवहार ...	5
(च) ग्रीड सब-स्टेशन का निर्माण ...	5-6
(छ) पुनपुन एवं बलदिया नदी में भयंकर बाढ़ ...	6-7
(ज) गंगा नदी से कटाव ...	7
(झ) गृह रक्षावाहिनी के जवानों के समक्ष भूखमरी की समस्या ...	7
(ञ) गन्ना उत्पादकों का रुपया भुगतान ...	8
(ट) गंडक नदी से कटाव ...	8
(ठ) श्री नवेन्दु दास के विरुद्ध आरोप ...	8
(ड) अधूरी योजनाओं का कार्यान्वयन ...	9
(ढ) टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन में हड़ताल ...	9
(ण) पटना में विधि-व्यवस्था की दयनीय स्थिति ...	9

(ञ) गन्ना उत्पादकों का रुपया भुगतान।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1983-84 का ईख क्रय कर (केन परचेज टैक्स) माफ करने का फैसला लिया है जिससे मिल मालिकों को 3.75 करोड़ रुपये का लाभ होगा और दूसरी ओर गन्ना उत्पादकों का पिछले वर्ष 1982-83 का पांच करोड़ छब्बीस लाख और वर्ष 1983-84 को 19 करोड़ 40 लाख अर्थात् कुल 24 करोड़ 66 लाख का बकाया है जिसे सरकार सूद सहित भुगतान नहीं करा पायी है। इससे साफ है कि सरकार पूंजीपतिपरस्त एवं किसान विरोधी है।

अतः गन्ना उत्पादकों का सूद सहित अविलम्ब बकाया भुगतान हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

(ट) गंडक नदी से कटाव।

श्री वृषिण पटेल—अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड में गंडक नदी के कटाव के कारण सेमरा घाट पर खतरा उपस्थित हो गया है। यहां कटाव इतना तेज है कि अविलम्ब सरकार द्वारा कारगर कदम नहीं उठाया गया तो बांध टूट जाने का खतरा है।

(ठ) श्री नवेन्दु दास के विरुद्ध आरोप।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—श्री नवेन्दु दास, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विरुद्ध दो करोड़ के एच० डी० पी० ई० के पाईप के क्रय में भ्रष्टाचार तथा अन्य सामानों के क्रय, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग, धोखा देकर अधिक यात्रा भत्ता का निकासी करना, बैंक ड्राफ्ट में बोगस भाउचर बनाना, ड्रील्ड नलकूप के निर्माण कार्य में दस लाख रुपये का गोलमाल करना, अनियमित नियुक्ति कर हरिजन एवं आदिवासियों को पूर्ण अवहेलना करना आदि आरोपों पर निगरानी विभाग में चल रहे जांच को विभाग के आयुक्त (श्री भास्कर बनर्जी) एवं सचिव तथा निगरानी विभाग के आयुक्त श्री एस० के० सिन्हा श्री दास से सांठ-गांठ कर मामला को रफा-दफा कर रहे हैं तथा सभी सम्बन्धित संचिका अपने घर ले गए हैं। निगरानी विभाग के जांच पदाधिकारी के मांगने पर भी लेख्य उपलब्ध नहीं कराये हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उपर्युक्त तीनों पदाधिकारियों को निलंबित कर तथा इन लोगों के पास से सभी संचिकाओं को लेकर इन पर चल रहे सभी आरोपों को जांच निगरानी विभाग द्वारा एक माह के अन्दर कराया जाय तथा उन्हें दण्ड दिया जाय।